राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1716/2023

संतरा बाई मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (II), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सह मुख्य परियोजना अधिकारी (एमएडीए), जिला परिषद्, दौसा।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, दौसा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.07.2023
आदेश की दिनांक : 12.07.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड—III के पद पर हुई थी। उसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.03.2020 (अनुलग्नक—4) द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड—II (संस्कृत) के पद पर पदोन्नत किया गया। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आदेश दिनांक 17.07.2020 (अनुलग्नक—5) द्वारा आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास में प्रतिनियुक्ति हेतु विभिन्न पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया। अपीलार्थी को आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु चयन किया जाकर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के आदेश दिनांक 16.10.2020 (अनुलग्नक—6) द्वारा अपीलार्थी को अधीक्षिका के पद पर बालिका छात्रावास नांदरी, दौसा में पदस्थापित किया गया। जहां अपीलार्थी ने दिनांक 27.10.2020 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.04.2023 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ के तहत बालिका छात्रावास नांदरी, दौसा से राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास मौनापुरा (महवा) में कोच पद पर लगाया गया। आदेश दिनांक 05.05.2023 (अनुलग्नक—2) द्वारा श्रीमती मीना कुमारी मीना को राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास नांदरी में कार्यवाहक

अधीक्षक के पद पर लगाया गया तथा अपीलार्थी को बालिका छात्रावास नांदरी, दौसा का सम्पूर्ण चार्ज श्रीमती मीना कुमारी मीना को संभलवाकर तत्काल प्रभाव से राजकीय बालिका माडा आश्रम छात्रावास मौनापुरा (महवा) कोच पद पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.05.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास मौनपुरा (महवा) से राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास भांवता–भांवती (बांदीकुई) में कार्य व्यवस्थार्थ कोच पद पर छः दिन की अल्पावधि में कर दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 6507/2019 डॉ॰ संजय प्रभुने बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 का उद्धरण देकर ऐसे अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण को अनुचित माना है। बालिका छात्रावास नांदरी (सिकराय) में अधीक्षक का पद रिक्त है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 02.06.2023 (अनुलग्नक–7) द्वारा राजकीय छात्रावास अधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया। अपीलार्थी को कार्यव्यवस्था के तहत उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से दूर स्थान पर स्थानान्तरण करने की कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने दिनांक 20.01.2023 (अनुलग्नक–8) द्वारा दिनांक 15.01.2023 से स्थानान्तरण/आदेशों की प्रतीक्षा में पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.04.2023, 05.05.2023 एवं 11.05.2023 (अनुलग्नक–1 से 3) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त

आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य